G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/7/1/2023
Ref: IRDAI/NL/Cir/Misc/7/1/2023 दिनांक/Date: 12.01.2023

परिपत्र
CIRCULAR

सभी साधारण बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी लि. तथा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)
ALL GENERAL INSURERS (Except ECGC Ltd, AIC Ltd and Stand Alone Health Insurers)

विषयः प्रतिभू (श्यूअरिटी) बीमा संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन
Re: Modification of Surety Insurance Guidelines

1. संदर्भ.सं.आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एसआईसी/01/01/2022 दिनांक 3 जनवरी 2022 के द्वारा जारी किये गये आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022 का आंशिक आशोधन करते हुए निम्नलिखित आशोधन किये गये हैं।
In partial modification of IRDA (Surety Insurance Contracts) Guidelines, 2022 issued vide Ref No. IRDAI/NL/GDL/SIC/01/01/2022 dated 3rd January, 2022 the following modifications are made.

2. खंड सं. 6.1 (ख) में निम्नलिखित उपबंध सन्निविष्ट किया गया है।
The following provision is incorporated to Clause no. 6.1 (b).
    क. बशर्ते कि उपर्युक्त उच्चतम सीमा एक स्टैंडअलोन आधार पर प्रतिभू बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत एक व्यवस्था वाली (मोनोलाइन) प्रतिभू बीमा कंपनियों पर लागू नहीं है। मोनोलाइन प्रतिभू बीमा कंपनियों का प्रतिभू बीमा व्यवसाय समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।
    a. Provided the above cap is not applicable to mono-line surety insu rance companies registered for doing surety insurance business on a standalone basis. The surety insurance business of mono-line surety insurance companies shall be subject to such prudential norms as may be specified from time to time.

3. खंड सं. 6.4 (क) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया गया है।
Clause no. 6.4 (a) is substituted with the following clause
    क. प्रतिभू बीमा संविदाएँ वाणिज्यिक प्रतिभू और संविदा प्रतिभू अपेक्षाओं के संबंध में प्रस्तावित की जा सकती हैं।
    a. Surety Insurance Contracts may be offered in respect of commercial surety and contract surety requirements.

4. इसके अंतर्गत उल्लिखित प्रतिभू बीमा दिशानिर्देश, 2022 के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।
All other provisions of the within referred Surety Insurance Guidelines, 2022 shall remain unaltered.

5. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
This circular shall come into force with immediate effect.

डि.श्रीनिवासमूर्ति

(डी. एस. मुर्ति / D. S. Murthy)
महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / General Manager (Non-Life)